



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1942 (श०)

(सं० पटना 831) पटना, मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई 2020

सं० 12/गो०का०अ० 03-03/2018-1269—सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प सह पठित ज्ञापांक-16394, दिनांक 14.12.2018, पत्रांक सह पठित ज्ञापांक-16389, दिनांक 14.12.2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के अभियंताओं लिए प्रतिकूल गोपनीय अभ्युक्ति के विलोपन अथवा यथावत रखने हेतु प्रतिवेदित अभियंता के अभ्यावेदन, संबंधित प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार के मंतव्य के आधार पर सम्यक रूप से विचारोपरांत अंतिम निर्णय लेने हेतु विभाग स्तर पर निम्नरूपेण दो रेफरल बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है:-

1. सहायक अभि०/कार्यपालक अभि०/अधीक्षण अभि०/मुख्य अभि०/अभियंता प्रमुख स्तर के पदाधिकारियों के लिए
 - (क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग बिहार पटना — अध्यक्ष
 - (ख) संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना — सदस्य
 - (ग) उप सचिव-1(प्र०), प्रभारी चारित्री कोषांग, ज० सं० वि०, बिहार, पटना — सदस्य-सह-संयोजक
 2. कनीय अभियंता के लिए
 - (क) अभियंता प्रमुख(मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना — अध्यक्ष
 - (ख) संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना — सदस्य
 - (ग) उप सचिव-1(प्र०), प्रभारी चारित्री कोषांग, ज० सं० वि०, बिहार, पटना — सदस्य-सह-संयोजक
- उक्त पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव(प्रबंधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 831-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>